### असाधारण EXTRAORDINARY

Daman 25th October, 2007, 3 Kartika 1929 (Saka)

सि. : 33





भारत सरकार Government of India

# संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

## UT ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU SECRETARIAT, DAMAN.

No. DMN/VAT-2005/07-08/716

Dated: 25/10/2007.

#### **NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 103 of the Daman & Diu Value Added Tax Regulation, 2005 (1 of 2005) (hereafter referred to as the said Regulation), the Government hereby amends the Third Schedule to the said Regulation in the following manner, namely:

#### (A) Amendment in the Third Schedule appended to the said Regulation :

- 1. After Entry No. 440, the following entry of Serial No. 441 shall be added namely :-
  - 441 Transfer of property in goods (in a composite from) involved in the execution of works contract of-
    - (a) Fabrication and erection of structural works of iron and steel including fabrication, supply and erection of iron trusses, purious and the like.

EXTRAORDINARY No.: 33 DATED: 25<sup>TH</sup> OCTOBER, 2007.

- (b) Fabrication and installation of cranes and hoists.
- (c) Fabrication and installation of rolling shutters and collapsible gates.
- (d) Civil works such as construction of buildings, bridges, roads, dams, canals and diversions.
- (e) Installation of doors, door-frames, windows, frames and grills.
- (f) Supply and fixing of tiles, slabs, stones and sheets.
- (g) Supply and fitting of electrical goods, supply and installation of electrical equipments including transformers.
- (h) Sanitary fitting for plumbing and drainage or sewerage.
- (i) Laying underground surface pipelines, cables or conduits.
- (j) Painting, polishing and white washing.

This notification shall come into force with immediate effect.

By Order and in the name of the Administrator of Daman & Diu

Sd/-( P. S. Jani ) Dy. Secretary (Taxation)

#### \* \* \*

#### संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन सचिवालय, दमण

सं. दमण/वैट-2005/07-08/716

दिनांक: 25/10/2007.

#### अधि सूच ना

दमण एवं दीव मूल्यवर्धित कर विनियम, 2005 (वर्ष, 2005 का-1) (इसके 'बाद उक्त विनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा-103 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार एतद्द्वारा उक्त विनियम की तृतीय अनुसूची में निम्न प्रकार संशोधन करती है, अर्थात् :

जारी/----

EXTRAORDINARY No.: 33

DATED: 25TH OCTOBER, 2007.

(क) उक्त विनियम में परिशिष्ट के रूप में संलग्न तृतीय अनुसूची में संशोधन:

- प्रविष्टि संख्या-440 के बाद, क्रम सं.-441 की निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जायेगा, अर्थात:-
  - 441 निम्नलिखित निर्माण संविदा में शामिल माल (मिश्रित रूप में) का संपत्ति के रूप में अंतरण-
    - (क) लोहे के द्रसेस, पलोइन्स, और संबन्धित माल के निर्माण, आपूर्ति और उत्थान सहित लोहे और स्टील के संरचनात्मक कार्यों का निर्माण एवं उत्थापन।
    - (ख) क्रेन्स और होइस्ट्स का निर्माण एवं अधिष्ठापन।
    - (ग) रॉलिंग सद्र्स और सिमटने वाले प्रवेश द्वार का निर्माण और अधिष्ठापन।
    - (घ) भवनों, पुलों, सड़कों, बाँधों, नहरों और विपथनों के निर्माण जैसे-सिविल निर्माण कार्य।
    - (ङ) दरवाजों, दरवाजों के फ्रेम, खिड़कियों, फ्रेम्स एवं ग्रिल का अध्य्ठापन।
    - (च) टाइल्स, स्लैब्स, पत्थरों एवं सीट्स की आपूर्ती एवं लगाया जाना।
    - (छ) विद्युत संबधी वस्तुओं की आपूर्ती एवं लगाया जाना और ट्रांसफार्मर्स सहित विद्युत उपस्कारों की आपूर्ति एवं लगाया जाना।
    - (ज) सैनिटरी नलसाजी और निकासी व्यवस्था या सीवर लगाया जाना।
    - (झ) भूमिगत सतही पाइपलाइन्स, केबल्स या कान्ड्यूट्स लगाना।
    - (ट) रंगाई, पॉलिस् और सफेदी कार्य करवाना।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

प्रशासक, दमण एवं दीव के आदेश एवं नामानुसार

ह/-(पी. एस. जानी) उप-सचिव (कराधान)

\* \* \*